



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट  
भाग-4, खण्ड (ख)  
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 1 अक्टूबर, 2021

आश्विन 9, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन  
राज्य कर अनुभाग-2

संख्या 1045/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(206)-2021

लखनऊ, 1 अक्टूबर, 2021

अधिसूचना

प0आ0-345

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 11 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, इस बात का समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट माल, जो नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (अधिनियम संख्या 51 सन् 1975) की प्रथम अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट यथास्थिति टैरिफ मद, उप शीर्ष, शीर्षक या अध्याय, के अन्तर्गत आती है, को उक्त अधिनियम की धारा 9 के अधीन उस पर उतना उदग्रहीत राज्य कर से छूट प्रदान करती हैं, जो कि पूर्वोक्त सारणी के स्तम्भ (4) में तत्संबंधी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट दर से संगणित राशि से अधिक है, अर्थात:-

### सारणी

क्रम संख्या	अध्याय, शीर्षक, उप शीर्षक या टैरिफ मद	माल का विवरण	दर
1	2	3	4
1	30	टोसीलिजुमैब	शून्य

1	2	3	4
2	30	एम्फोटेरिसिन बी	शून्य
3	30	रेमडेसिविर	2.5%
4	30	हेपरिन(एंटी-कौयगुलांट)	2.5%
5	30	इटोलिजुमाब	2.5%
6	30	पॉसकोनाजोल	2.5%
7	30	इनपिलक्सिमैब	2.5%
8	30	बामलानिविमाब और एतेसेविमाब	2.5%
9	30	कासिरिविमाब और इम्देवीमाब	2.5%
10	30	2-डिओक्सी-डी-ग्लूकोज	2.5%
11	30	फेविपिराविर	2.5%

2-यह अधिसूचना तारीख 1 अक्टूबर, 2021 से प्रवृत्त होगी और 31 दिसम्बर, 2021 तक प्रवृत्त रहेगी।

आज्ञा से,  
संजीव मित्तल,  
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 1045 / XI-2-21-9(47)-17-U.P.Act-1-2017-Order-(206)-2021, dated October 1, 2021 :

No. 1045 / XI-2-21-9(47)-17-U.P.Act-1-2017-Order-(206)-2021

*Dated Lucknow, October 1, 2021*

IN exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no. 1 of 2017), the Governor on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby exempts the goods specified in column (3) of the Table below, falling under the tariff item, sub-heading, heading or Chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (Act no. 51 of 1975), as the case may be, as specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, from so much of the central tax leviable thereon under section 9 of the said Act, as is in excess of the amount calculated at the rate as specified in corresponding entry in column (4) of the aforesaid Table, Namely:-

TABLE

Sl. No.	Chapter, Heading, Sub-heading or Tariff item	Description of Goods	Rate
1	2	3	4
1	30	Tocilizumab	Nil
2	30	Amphotericin B	Nil

1	2	3	4
3	30	Remdesivir	2.5%
4	30	Heparin (anti-coagulant)	2.5%
5	30	Itolizumab	2.5%
6	30	Posaconazole	2.5%
7	30	Infliximab	2.5%
8	30	Bamlanivimab & Etesevimab	2.5%
9	30	Casirivimab & Imdevimab	2.5%
10	30	2-Deoxy-Glucose	2.5%
11	30	Favipiravir	2.5%

2. This notification shall come into force from the 1<sup>st</sup> day of October, 2021 and remain in force up to and inclusive of the 31<sup>st</sup> December, 2021.

By order,  
SANJIV MITTAL,  
*Apar Mukhya Sachiv.*

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 365 राजपत्र-2021-(828)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 28 सा० राज्य कर-2021-(829)-1000 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।